



31711

दृश्याम 22986/16  
2298710

नव योजना केन्द्र 10 अंशोक भावना, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

पत्रांक: 2283/05/76/एक/2015-16

रोडा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जिला नगरीय विकास अभियान

जनपद अलीगढ़।

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा दूड़ा को प्रेषित की गयी धनराशि की सूचना का प्रेषण।

महोदय,

अभियान द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को आईएससीपी योजनानामत निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि आन्तरित की जा चुकी है।

जनपद का नाम	अनुदान संख्या	आवास संख्या	धनराशि का प्रेषण (लाख रुपये में)		
			खाता संख्या	आईएससी कोड	धनराशि
				II SC Code UBIN0557112	122.14
1	2	3	4	5	6
अलीगढ़ / अलीगढ़	अनु० 83 पीएलए	168	116.57	5.57	122.140
योग			116.57	5.57	122.140

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय आईएससीपी योजनानामत सम्बन्धित मूल्यवृद्धि की ढीपीआर के साथ पठित पीएफएडी तथा भारत सरकार के द्वारा जारी रखीकृतियों में वर्णित मदों पर ही किया जाये जिनके लिये धनराशि रखीकृत की गयी है। परियोजना की ढीपीआर में रखीकृत दरों एवं कार्य की भौतिक प्रगति को दृष्टिगत रखते हुये ही कार्यदायी संस्था को तदनुसार धनराशि दी जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि जितनी धनराशि कार्यदायी संस्था को दी गई है, उसके लिये भौतिक प्रगति भी होनी चाहिए। उपरोक्त मद के अंतरिक्ष अन्य किसी मद में व्यय करना और दिशा निर्देशों का अनुपालन न करना पित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा। किसी भी दशा में कोई व्यवहार अनुमन्य न होगा। आप अवगत हैं कि भारत सरकार द्वारा परियोजना को पूर्ण करने की निवारित अवधि मार्च 2015 निवारित थी जो व्यतीत हो चुकी है। भारत सरकार को प्रश्नगत परियोजना की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने हैं, ऐसी स्थिति में उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को 10 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराने का काट करें अन्यथा की स्थिति में अत्येतर कोई भी मूल्यवृद्धि यदि होती है तो उसका उत्तरदायित जनपद का होगा। प्रश्नगत धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व दूड़ा द्वारा एमओ०४०० कार्यदायी संस्था से करना होगा जिसमें निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा:

- 1- रागत कार्य मूल्यवृद्धि की ढीपीआर के आधार पर प्राथमिकता पर पूर्ण करने होंगे।
- 2- दिसम्बर 2015 तक प्रत्येक दशा में उपयोगिता प्रमाण पत्र सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराने होंगे।
- 3- इस मूल्यवृद्धि के बाद पुनः किसी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
- 4- उपलब्ध रखीकृत धनराशि से रागत निर्माण कार्य पूर्ण करने होंगे।
- 5- निर्माणाधीन आवास निर्माण पर लाभार्थी अंशदान संशोधित दरों पर दूड़ा द्वारा कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा लाभार्थी अंशदान न उपलब्ध कराये जाने की दशा में उत्तीर्णी लागत का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा छोड़ दिया जायेगा जैसाकि पूर्व में निर्देश निर्माण किये गये हैं।



31712

प्रमाण 2286709  
2286710

नव घोटना केन्द्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ 226001

## राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

- ६ कार्य पूर्ण होने के उपरान्त केन्द्र/राज्य सरकार के निवेशानुसारा परियोजना की कलोजर रिपोर्ट अभियान मुख्यालय को ढूढ़ा के माध्यम से उपलब्ध करानी होगी।
- ७ सूचिता की गई परिसम्पत्तियों का स्थानान्तरण सम्बन्धित नगर निकाय (यूएल०वी०) को करना होगा और उक्त का प्रमाण पत्र सूडा को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

महाराजा  
(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियंत्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतोलेपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

१. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभियान, सम्बन्धित जनपद।
२. परियोजना निदेशक, उ०प्र० सी० एण्ड डी०एस० नि० इकाई सूडा-अलीगढ़।
३. परियोजना अधिकारी-सूडा।
४. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

महाराजा  
(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियंत्रक